न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुसा बनाम पताशी देवी

दावा प्र.नं. - 75/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28.08.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादीया की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।	

28/08/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh

Date: 2023.12.12 16:52:54 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
75/2022	2022/135	11.07.2022	28.08.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. कृष्णा सैनी पत्नी शिम्भूदयाल आयु 28 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी मालियान तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीया——

बनाम

1. पतासी देवी पत्नी फूलाराम आयु 65 वर्ष
2. शिम्भूदयाल पुत्र हेमाराम आयु 55 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासी ढाणी मालियान तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. शाखा प्रबंधक, बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित : –

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीया।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:54 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

28/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3797 रकबा 0.38 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसमें हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादीया के नाम व हिस्सा 2/3 प्रतिवादीया नम्बर 1 के नाम व बहिस्सा 1/12 की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार है। उक्त वर्णित भूमि का मौके पर बाह्मी बंटवारा पूर्व खातेदारान के मध्य पूर्व में ही हो गया था। उक्त बंटवारा अनुसार उक्त भूमि का उत्तरी तरफ का 2/3 हिस्से की रकबा की भूमि प्रतिवादीया नम्बर 1 के हिस्सा व बंटवारे में आया था तथा शेष 1/3 हिस्सा में दक्षिणी तरफ की प्रतिवादी नम्बर 2 के बंटवारे में आयी हुयी थी। जिसमें सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा 1/12 हिस्सा पूर्वी तरफ की भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने बंटवारे में रखकर पश्चिमी तरफ की सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा की भूमि रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख बेचान कर मौके पर वादीया को संभलायी गयी थी। जिस पर वादीया क्रय करने के दिन से पूर्णतया काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि झाड़ली से हरदासकाबास जाने वाली सड़क पर स्थित है। वादीया ने अपनी भूमि में पूर्वी तरफ पुख्ता डण्डा बनाया हुआ हैं व उत्तरी तरफ की सम्पूर्ण सीमा पर प्रतिवादीया नम्बर 1 द्वारा मौके पर लोहे के तारों का जाल लगाकर अपनी भूमि की सम्पूर्ण सीमाओं से सुरक्षित कर महदूद कर रखा हैं। उक्त भूमि के उत्तरी तरफ से एक रास्ता ढाणी मालियान तक मौके पर रास्ता उपलब्ध है। वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि व खातेदारीशुदा उपरोक्त वर्णित भूमि मौके पर पूर्णतया काबिज काश्त हैं जो वादीया के एकल बंटवारे में आयी हुयी है। जिनका वादीया को अपने अकेली के बंटवारा अनुसार खातेदारी दर्ज कराने का वादीया पूर्णरूपेण अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी शामलाती राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त भूमि का कानूनी रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है, संयुक्त खातेदारी होने से वादीया अपनी कब्जे व बंटवारे में आयी हुयी भूमि का एकल खातेदारी के अभाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

समुचित रूप से विकास नही कर पा रही है, ना ही राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा एकल खातेदारों को दी जाने वाल सुख सुविधाओं से भी वादीया को वंचित रहना पड़ता है। वादीया ने पूर्व में प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि का बंटवारा कराकर अलग-अलग बट्टा नम्बर डाले जाकर एकल खातेदारी अलग अलग दर्ज कराने हेतु कहा तो वे पूर्व में हां करते रहे परन्तु दिनांक 20.06.2023 को बंटवारा कराने हेतु कहा तो उन्होनें से स्पष्ट मना कर दिया। जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3797 रकबा 0.38 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीया के विधिक हक हिस्सेनुसार रकबा 0.095 हैक्टर भूमि का अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर पक्षकारान के मध्य मौके पर बंटवारा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स उपरोक्तानुसार बंटवारा कराय जाकर अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग-अलग बट्टा नम्बर डाले जाकर नक्शें में तरमीम कराया जाकर लगान भी अलग-अलग कायम कराया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादीया ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीया एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीया एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग-अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण एकपक्षीय होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 02.11.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1705 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1265 दिनांक 01.08.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वकील वादीया ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादीया की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दर्ज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

––:: क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 01.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

<u>जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति</u> :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 [illegible]	रकबा (हे0)	किस्म	लगान
1.	366	1. कृष्णा पत्नि शि[illegible] हिस्सा 1[illegible] जाति माली 2. पतासी देवी पत्नि फूलाराम हिस्सा 2/3 3. शिम्भूदयाल पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/12	[illegible]7	0.38	गै0मु0 टीबा चाही–1	7.51
		योग	किता –1	0.38	–	7.51

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:54 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 12/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	366	1. कृष्णा पत्नि शिम्भुदयाल	3797/1	0.095	गै0मु0 टीबा चाही–1	1.875
		योग	किता–1	0.095	–	1.875
2.	366	1. पतासी देवी पत्नि फूलाराम हिस्सा 2/3 2. शिम्भूदयाल पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/12 जाति माली	3797/2	0.285	गै0मु0 टीबा चाही–1	5.635
		योग	किता–1	0.285	–	5.635

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1265 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

28/08/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:54 IST
Reason: Self Attested

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)